भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3020

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

झारखंड में महिलाओं में कुपोषण

3020. श्री नलिन सोरेन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) झारखंड में महिलाओं में बढ़ते कुपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया है ताकि बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा सके। यह एक सार्वभौमिक स्व-चयन (प्रवेश में कोई बाधा नहीं) योजना है जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे झारखंड राज्य सहित देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, पहुंच, व्यवहार परिवर्तन और हिमायत के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। यह योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि दुर्बलता, अल्प वजन प्रसार, बौनापन और एनीमिया को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी दर पीढ़ी चक्र का समाधान किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। कुपोषण की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन मानदंडों को संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे तथापि संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया।

मिशन पोषण 2.0 के तहत जन आंदोलन की ओर ले जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता हिमायत है जो लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने

वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर माह दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है।

पूरक पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) की प्रदायगी में सुधार के लिए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को , जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं, पास के प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें जहाँ पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण विकसित आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए लाभार्थियों को बेहतर पोषण प्रदायगी और ईसीसीई के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ और उन्नत करने का प्रावधान है। आज तक 92108 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, पांच वर्ष की अवधि में 10,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रति वर्ष की दर से 50,000 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रावधान है। आज तक एमजीएनआरईजीएस के तहत निर्माण के लिए 34,156 आंगनवाड़ी केन्द्रों का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) भी लागू कर रहा है जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लूएंडएलएम) को वेतन के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से नकद प्रोत्साहन देना है ताकि वह प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें और अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार कर सकें। पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में 5,000/- रूपये का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, दिनांक 01.04.2022 से लागू 'मिशन शक्ति' के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह योजना दूसरे बच्चे के लिए, यदि वह बालिका है, तो 6,000/- रूपये का अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहती है।

(ख) और (ग) मिशन पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जहाँ योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आती है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर निरंतर सहभागिता/बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है।

दिनांक 13 जनवरी, 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, खरीद प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और पूरक पोषण की प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पूरक पोषण के तहत खाद्य पदार्थों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों तथा राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में पारदर्शिता की निगरानी की जा रही है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण प्रदायगी सहायता प्रणालियों को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। दिनांक 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों में बौनापन, दुर्बलता, कम वज़न की व्यापकता की सक्रिय पहचान के लिए उठाया जा रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों के डिजिटलीकरण और स्वचालन की सुविधा भी प्रदान की है जो उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने सभी स्तरों पर आंगनवाड़ी सेवाओं के लगभग वास्तविक समय के डेटा संग्रह और निगरानी की सुविधा प्रदान की है, जिसमें दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई), पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं), विकास माप आदि शामिल हैं।